BSES

बिजली विभाग का सामान न उठाएं, होगी जेल

- बीवाईपीएल का सामान रखने के जुर्म में कबाड़ी को पुलिस ने भेजा तिहाड़

नई दिल्लीः 21 दिसंबर, 2012। बिजली विभाग का सामान उठाने, बेचने, खरीदने या उस पर कब्जा करने के मामले में भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर आपके घर बिजली विभाग का कोई भी सामान या उपकरण मिलता है, तो आपको 3 साल तक की जेल हो सकती है।

पूर्वी दिल्ली के शाहदरा इलाके के एक कबाड़ी को दिल्ली पुलिस ने बीवाईपीएल का सामान रखने के जुर्म में गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेज दिया है। ऐसी कुछ और शिकायतें पुलिस को दी गई हैं, जिनकी जांच की जा रही है।

भारतीय बिजली कानून की धारा 136 और 137 के तहत शाहदरा इलाके के एक कबाड़ी को न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा गया है। बीवाईपीएल की सुरक्षा व विजिलेंस टीम को सूचना मिली थी कि पूर्वी दिल्ली के इस मशहूर कबाड़ी के पास बिजली विभाग का सामान पड़ा है। जब कबाड़ी से इस बारे में पूछा गया कि उसके पास बीवाईपीएल का इतना सारा सामान कहां से आया, तो वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। इसके बाद बीवाईपीएल ने दिल्ली पुलिस में शिकायत की। बीवाईपीएल की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हुए स्थानीय पुलिस ने कबाड़ी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भिजवा दिया। कबाड़ी के पास से बीवाईपीएल का 1000 किलो तार व उपकरण बरामद किए गए हैं।

बीवाईपीएल के मुताबिक, बिजली कानून की इस धारा से बिजली कंनपियों को अपने उपकरणों और सामान की सुरक्षा में काफी मदद मिलेगी। गौरतलब है कि बिजली कंपनियों के ज्यादातर उपकरण सार्वजनिक स्थानों पर ही लगे होते हैं। कई बार कई आसामाजिक तत्व इन चीजों को उठाकर घर ले जाते हैं या कबाड़ियों को बेच देते हैं।

बीवाईपीएल प्रवक्ता ने कहा कि दिल्ली पुलिस काफी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। अपराधी चाहे किसी भी तरह का हो और कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, पुलिस अब उसे नहीं छोड़ेगी।

अब तक इन उपकरणों की चोरी करने वालों के खिलाफ ही कार्रवाई की जाती थी, लेकिन अब इन्हें खरीदने और बेचने या इन उपकरणों को रखने वालों के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा बिजली कानून की धारा 136 और 137 के तहत दिए गए विशेषाधिकारों के तहत किया जाएगा।

दिल्ली की प्रमुख बिजली वितरण कंपनियां बीआरपीएल और बीवाईपीएल अपने उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

....